

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत किशोर / किशोरी समूह के गठन से संबंधित प्रतिवेदन

समूह का नाम: बाल विवाह एवं दहेज निरोधक _____ समूह

जिला..... प्रखंड..... पंचायत..... ग्राम / टोला

क्र. सं.	किशोर / किशोरी का नाम	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	वर्तमान में पढाई जारी (हाँ /नहीं)	विवाहित / अविवाहित	समूह में पदनाम (अध्यक्ष / सदस्य)	किशोर / किशोरी के (माता/ पिता/ अभिभावक का नाम)	हस्ताक्षर	मोबाईल नंबर
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

(विकास मित्र का हस्ताक्षर)

प्रत्येक किशोर / किशोरी समूह के गठन से संबंधित प्रतिवेदन अलग - अलग प्रपत्र में उपलब्ध करना है।

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत किशोर / किशोरी समूह के गठन एवं गतिविधि से संबंधित

(मासिक प्रतिवेदन प्रपत्र)

माह _____

वर्ष _____

विकास मित्र का नाम:

पंचायत:

प्रखंड:

जिला:

गठित किशोर / किशोरी समूह की संख्या एवं समूहों का नाम:

बैठक की विवरणी:

क्र. सं.	किशोर / किशोरी समूह का नाम	बैठक की तिथि	चर्चा का विषय एवं मुख्य बिंदु	बैठक में शामिल समूह के सदस्यों की संख्या	समुदाय से भाग लेने वाले लोगों की संख्या	अगले बैठक की तिथि	अगले बैठक में चर्चा का विषय
1.							
2.							
3.							
4.							

(विकास मित्र का हस्ताक्षर एवं तिथि)

किशोर/ किशोरी समूह पंजी का प्रथम पृष्ठ

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत टोलों में किशोर / किशोरी समूह के गठन एवं कार्रवाई से संबंधित पंजी

प्रमाणित किया जाता है कि इस पंजी में कुल..... पृष्ठ है।

प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि

पंजी का द्वितीय पृष्ठ

किशोर / किशोरी समूह के गठन की कार्यवाही

दिनांक को जिला के प्रखंड पंचायत के ग्राम..... के महादलित टोले में बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के राज्यव्यापी अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता के उद्देश्य से किशोर / किशोरी समूह के गठन हेतु संबंधित विकास मित्रद्वारा बैठक आयोजित की गई | बैठक में विकास मित्र द्वारा उपस्थित किशोर / किशोरी समूह के गठन का उद्देश्य, समूह के सदस्य हेतु निर्धारित आयु की जानकारी देते हुए इच्छुक किशोर / किशोरी का समूह बनाया गया | समूह में शामिल कुलसदस्यों ने सुश्री / श्रीको अध्यक्ष चूना गया एवं समूह का नाम बाल विवाह एवं दहेज निरोधक _____ किशोर / किशोरी समूह रखा गया है | गठित समूह की संरचना निम्नवत है:-

क्र. सं.	किशोर / किशोरी का नाम	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	वर्तमान में पढाई जारी (हाँ /नहीं)	विवाहित / अविवाहित	समूह में पदनाम (अध्यक्ष / सदस्य)	किशोर / किशोरी के (माता/ पिता/ अभिभावक का नाम)	हस्ताक्षर	मोबाईल नंबर
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

समूह के गठन के उपरान्त यह तय किया गया कि प्रत्येक 15 दिनों पर समूह की बैठक बुलाई जायेगी, जिससे समूह गठन के उद्देश्यों के अनुरूप चर्चा की जायेगी |

पंजी का शेष सभी पृष्ठ

बैठक की कार्यवाही

स्थान:

तिथि:

क्र. सं.	बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का नाम	बैठक में भाग लेने वाले गैर सदस्यों की संख्या (यदि हो)	बैठक में चर्चा के विषय	बैठक में शामिल समूह के सदस्यों का हस्ताक्षर	अगले बैठक की तिथि एवं चर्चा के विषय	विकास मित्र का हस्ताक्षर
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

बैठक की कार्यवाही का विवरण (संक्षेप में)